

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० जौनपुर
अल्पकालीन निविदा सूचना

पत्रांक 2094/0A

दिनांक-03/0/13

महामहिम राज्यपाल महोदय उ०प्र० की ओर से अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, जौनपुर, उ०प्र० लो०नि०वि० में श्रेणी ए०,बी०सी०डी० में पंजीकृत एवं पात्र ठेकेदारों से प्रतिशत दरों में अधोलिखित कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित करते हैं।

क्र० सं०	जनपद का नाम	कार्य का नाम	लागत(लाख रू० में)	घरोहर धनराशि (रू० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्यकारी अधिशासी अभियन्ता कार्यालय	अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय	जिलाधिकारी कार्यालय	मुख्य अभियन्ता कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जौनपुर	दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित दस कक्षीय न्यायालय भवन(अनावारीय) की विशेष मरम्मत एवं रंगाई-पुताई का कार्य	30.98	3.09	300+500+ Vat.	6 माह	प्रा०ख०, लो०नि०वि० जौनपुर	आजमगढ़	जौनपुर	आजमगढ़ क्षेत्र, लो०नि०वि० आजमगढ़
2	जौनपुर	दीवानी-न्यायालय परिसर में स्थित लाकअप भवन की मरम्मत. एवं चहार दीवारी का निर्माण कार्य	5.50	0.55	225+500+ Vat.	3 माह	प्रा०ख०, लो०नि०वि० जौनपुर	आजमगढ़ वृत्त, लो०नि०वि० आजमगढ़	जौनपुर	आजमगढ़ क्षेत्र, लो०नि०वि० आजमगढ़

- प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को शामिल करते हुए कालम-7 में वर्णित है।
- निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस होगी।
- कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र (Bidding Document) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, जिलाधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं पंजाब नेशनल बैंक से दिनांक 16.08.2013 से 22.08.2013 तक प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 के मध्य किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र निविदा प्रपत्र पंजीकृत डाक से अथवा स्पीड पोस्ट से मंगाये जाने की अवस्था में ठेकेदार को दिनांक 22.08.2013 को सायं 4.00 बजे के पूर्व रू० 200.00 अतिरिक्त जमा करने होंगे। डाक से निविदा मंगाने की अवस्था में डाक वितरण अथवा प्राप्ति में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर अधोहस्ताक्षरी जिम्मेदार नहीं होगा। निविदा प्रपत्र वेबसाइट WWW.uppwd.up.nic.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। जिसके निविदा प्रपत्र का मूल्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो अधिशासी अभियन्ता प्रा०ख० लो०नि०वि० जौनपुर के पक्ष में भुगतान हेतु देय होगा, जो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जायेगी।
- वेबसाइट पर निविदा प्रपत्र डाउन लोड की अवस्था में किसी भी प्रकार अनियमितता होने पर सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र प्रमाणित मानी जायेगी।
- निविदायें कार्यकारी अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, जिलाधिकारी अथवा मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में दिनांक 23.08.2013 दोपहर 12.00 बजे तक निविदा पेटिका में डाली जायेंगी जिसकी तकनीकी/वित्तीय निविदाएं अगले कार्यकारी दिवस दिनांक 24.08.2013 को दोपहर 12.30 बजे जिलाधिकारी जौनपुर के कार्यालय परिसर स्थित सभागार में निविदादाताओं (जो उपस्थित होना चाहते हैं) के समक्ष खोली जायेगी तथा निविदा प्राप्ति अथवा खोलने की तिथि पर कार्यालय यदि बन्द होता है तो निविदाएं अगले कार्यकारी दिवस में निर्धारित समय व स्थान पर प्राप्त और खोली जायेगी तथा निविदा की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी।

8. प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर धनरशि जैसा कि कालम में दर्शाया गया है को संलग्न करना अनिवार्य होगा जो एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियन्ता, प्रा0खं0, लो0नि0वि0. जौनपुर के पक्ष में बन्धक होगा जो कि निविदा की वैधता से 45 दिन अधिक की तिथि तक वैध होना अनिवार्य है।
9. ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगा सम्बन्धी जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता के पद पर आसीन होंगे को कार्य करने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिस्तेदार का एफीडेविड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो कि खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
10. ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा से दो साल सेवा निवृत्त के पूर्ण नहीं हुये है, को कार्य करने की अनुमति राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति बिना नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेंगे तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
11. निविदा प्रपत्र तथा अन्य विवरण अर्हता, कार्य की विशिष्टियाँ, ड्राइंग विभिन्न कार्यों की शिड्यूल ऑफ क्वान्टिटी जो कार्य किया जाना है के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में जैसा कि कालम 8 में दर्शाया गया है को कार्य समय 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक दिनांक 16.08.2013 से 22.08.2013 तक देखी जा सकती है।
12. अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के अनुमति नहीं होगी।
13. कोई भी निविदादाता जो स्टेटवार कौंसिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता।
14. निविदादाता को प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ सारी सूचनाएं प्रोफार्मा(T-4,T-5,T-6)एवं रजिस्ट्रेशन मूल में टेण्डर के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
15. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
16. विभागीय दरों से कम दरें प्राप्त होने की स्थिति में शासनादेश सं0 622/23-12-2012-2 आडिट/08टी0सी0-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफारमेंस गारंटी अनुबन्ध गठन के समय देय होगी।

6/03/13
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
जौनपुर